

कार्यालय जिला कलेक्टर, बारां (राज0)

क्रमांक:-एफ-10/नाजिर/2018/ 438

दिनांक:- 31/8/2018

निविदा सूचना

मिनी सचिवालय (कलेक्ट्रेट) परिसर, बारां में केन्टीन संचालन हेतु एक वर्ष के लिए निविदा वार्षिक दर के आधार पर दिया जाना है, जिसके लिए इच्छुक व्यक्तियों/फर्मों से बन्द लिफाफे में निविदा दरें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा में संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है-

क्र. सं.	विवरण	न्यूनतम आरक्षित राशि	प्रतिभूति राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	निविदा प्रपत्र विक्रय तिथि	निविदा दर प्रस्तुत करने की दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक
1.	केन्टीन संचालन	135000 /	6750 /	200 / -	18.9.2018 1.00 पीएम तक	18.9.2018 3.00 पीएम तक	18.9.2018 4.00 पीएम तक

निविदा प्रपत्र कार्यालय समय में केशियर को नगद शुल्क जमाकर निर्धारित अवधि में प्राप्त किये जा सकते हैं। प्रतिभूति राशि का डी.डी. जो अध्यक्ष, कलेक्ट्रेट विकास समिति, बारां के पक्ष में देय हो, निविदा के साथ संलग्न करना होगा। अन्य वांछित जानकारी कार्यालय समय में की जा सकती है। निविदा की शर्तें व सूचना वेब साईट <http://sppp.raj.nic.in> पर भी देखी जा सकती है।

जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष,
कलेक्ट्रेट विकास समिति, बारां
दिनांक:- 31/8/2018

क्रमांक:-एफ-10/नाजिर/2018/ 438-~~48~~

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. कोषाधिकारी, बारां
2. प्रभारी अधिकारी नाजिर/लेखा अनुभाग, बारां
3. डीआईओ एनआईसी, बारां को विज्ञप्ति की सूचना वेब साईट पर अपलोड करने हेतु
4. उपखण्ड अधिकारी समस्त.....जिला बारां
5. तहसीलदार समस्त.....जिला बारां
6. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी बारां को प्रति दी जाकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन एक स्थानीय समाचार पत्र में न्यूनतम स्पेश व डीपीआर की दर पर करवायें।
7. सूचनरा पट्ट जिला कार्यालय बारां/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बारां/आयुक्त, नगर परिषद, बारां

जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष,
कलेक्ट्रेट विकास समिति, बारां

कलेक्ट्रेट विकास समिति, बारां
निविदा प्रपत्र
(केन्टीन हेतु वित्तीय प्रस्ताव)

1. निविदा विज्ञप्ति क्रमांक व दिनांक— नाजिर/18/.....दिनांक.....
2. नाम फर्म/व्यक्ति—
3. पूर्ण पता—
4. दूरभाष नंबर— बेसिक—.....
मोबाईल—.....
5. बैंक खाते का विवरण— बैंक का नाम.....
खाता संख्या.....
6. पहचान पत्र..... (प्रति संलग्न करें)
7. प्रतिभूति राशि का संलग्न डी0डी0 नंबर.....दिनांक.....राशि.....
8. एक वर्ष के लिए वार्षिक आधार पर संविदा प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत वार्षिक संविदा दर निम्नानुसार है—

रूपये अंकों में.....	रूपये शब्दों में
----------------------	------------------------

9. घोषणा:—

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने इस इस निविदा की समस्त शर्तें पढ़ ली हैं एवं मैं इन शर्तों से सहमत हूँ तथा मैंने सहमती के आधार स्वरूप शर्तों के प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। (शर्तों का हस्ताक्षरित प्रपत्र संलग्न है)

दिनांक.....

हस्ताक्षर निविदादाता

केन्टीन संचालन हेतु संविदा की शर्तें—

1. उक्त संविदा की अवधि अनमोदन तिथि से एक वर्ष के लिए होगी। निविदा दर वार्षिकी प्रस्तुत करनी होगी।
2. निविदादाता को प्रतिभूति के रूप में 6628/- रुपये का डी0डी0 जो अध्यक्ष कलेक्ट्रेट विकास समिति बारां के पक्ष में देय हो निविदा के साथ संलग्न करना होगा। अनुमादित निविदा दाता के प्रतिभूति राशि संविदा अवधि के अन्त तक जमा रहेगी। शेष निविदा दाता की प्रतिभूति राशि रिफण्डेबल होगी।
3. अनुमोदन उपरान्त वार्षिकी संविदा राशि का 25 प्रतिशत तत्काल एवं शेष राशि 7 दिवस के अन्दर जमा कराना आवश्यक होगा।
4. अनुमोदित निविदादाता को 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर संविदा का अनुबंध निष्पादित करना आवश्यक होगा।
5. केन्टीन संचालन हेतु संविदा कर्ता द्वारा नियुक्त अपने कर्मचारियों के नाम पते की सूची जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करनी होगी।
6. केन्टीन में खाद्य व पेय पदार्थ शुद्ध, ताजा व अच्छी गुणवत्ता के साथ उचित दर पर ही विक्रय किये जा सकेंगे। उचित दर बाजार दर से अधिक नहीं होगी तथा आवश्यक होने पर पदार्थों की उचित दरों का निर्धारण जिला कलेक्टर द्वारा किया जा सकेगा, जो संविदा कर्ता को मान्य होगा।
7. केन्टीन की साफ सफाई की व्यवस्था, विद्युत प्रभार, पानी की व्यवस्था का भार संविदाकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा।
8. केन्टीन का संचालन जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित स्थान पर किया जावेगा तथा परिवर्तन की आवश्यकता होने पर तत्काल परिवर्तित स्थान पर संविदा कर्ता द्वारा केन्टीन स्थानान्तरित करना होगा।
9. केन्टीन का संचालन कार्यालय समय में ही संचालित किया जावेगा तथा आवश्यकता होने पर निर्देशानुसार अवकाश के दिवसों में भी संचालित किया जावेगा।
10. सेवायें संतोषप्रद नहीं होने पर बिना कारण बताये संविदा कभी भी समाप्त किये जाने का सर्वाधिकार जिला कलेक्टर बारां में सन्निहित होगा।
11. विवाद की स्थिति में अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर बारां का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
12. सशर्त कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

फर्म का नाम:—

पूरा पता:—